न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 110/08 (148/03, 57/04) अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. मातादीन पुत्र मंगलिया जाति अहीर निवासी श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:––– प्रतिवादी अपीलांट

बनाम

1 मु0 चन्द्रो पुत्री मंगलिया जाति अहीर निवासी श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:–––– वादनी रेस्पो0

2. कैलाश पुत्र मंगलिया अहीर निवासी श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:–––– प्रतिवादी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

दिनांक 30.7.2003

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री संजीव जैन

2. वकील वादनी रेस्पो0 :– श्री जनार्दन शर्मा

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय   दिनांक 19.2.2018

------   -------------

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा मुकदमा नम्बर 311/2001 में पारित निर्णय दिनांक 30.7.03 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादनी रेस्पो0 का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी. एक्ट डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादनी रेस्पो0 ने तहत न्यायालय में वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1225, 1152, 1154, 1151, 1153, 1385 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर पक्षकारान के पिता मृतक मंगलिया की कब्जे काश्त खातेदारी की है । पक्षकारान आपस में भाई बहन है । विवादित आराजी में वादनी रेस्पो0 का 1/3 हिस्सा बनता है । परन्तु प्रतिवादी ने चालाकी से विरासत का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाकर सालिम आराजी अपने नाम अंकित करा ली । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि हम पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो गया है,जिसमें यह तय पाया है कि वादनी रेस्पो0 का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है । उसने जरिये राजीनामा यह तथ्य स्वीकार कर लिया है । अतः निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील वादनी रेस्पो0 का कथन है कि हम पक्षकारान मृतक मंगलिया के वारिसान होने के कारण हम आपस में भाई बहिन है । मंगलिया की विरासत का इन्तकाल संख्या 533 सन 1998 अपीलांट के नाम मेरी उपस्थिति एवं सहमति से दर्ज हुआ है और उक्त इन्तकाल के आधार पर विवादित आराजी अपीलांट के नाम जो दर्ज हुई है, वह सही हुई है, इससे मुझको कोई आपत्ति नहीं है । इस सम्बन्ध में मैंने अदालत श्रीमान के यहां

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

राजीनामा पेश कर दिया है ।   अतः निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा अगर अपील स्वीकार कर ली जाती है तो मुझको कोई आपत्ति नहीं है ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही राजीनामा पर भी गौर किया । राजीनामा में निवेदन किया गया है कि विरासत इन्तकाल नम्बर 533 सन 1998 जो स्वीकार हुआ है, वह वादनी रेस्पो0 की उपस्थिति में एवं उसकी सहमति से स्वीकार हुआ है और उसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टियां की गई है, वह भी सही हुई है । चूंकि उक्त राजीनामा के आधार पर कार्यवाही तहत न्यायालय को ही करानी है । ऐसी स्थिति में हम राजीनामा के आधार पर न्यायसंगत कार्यवाही कराने हेतु प्रकरण तहत न्यायालय को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.7.2003 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि पक्षकारान से राजीनामा लेकर एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 13.3.2018 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner